Email- jdmandalbkn@gmail.com
Phone: 0151-2970655

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांकः संनि/स्कूल शिक्षा/शै0प्र0/दो पारी वि./2020/2013 दिनांक : 08.12.2020

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक/प्रारंम्भिक
बीकानेर।

विषयः— विद्यालय संचालन दो पारी के प्रस्ताव बाबत्।
प्रसंगः— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा—माध्य/224465/दो पारी/2015—16/284 दिनांक 11.11.2016 एवं शिविरा—माध्य/मा—स/22418/शिविरा पंचाग/2019—20/84 दिनांक 28.06.2019

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रदत निर्देशानुसार **"जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक को प्रस्तुत करेंगें तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक परीक्षणोंपरांत स्पष्ट अनुशंषा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव संभागीय संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। संभागीय संयुक्त निदेशक समस्त परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर कक्षा—कक्ष, छात्र संख्या आदि का परीक्षण कर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् सकारण स्वीकृति आदेश जारी कर निदेशालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) को अवगति प्रदान करेंगें।"**

वर्तमान में कोविड—19 के चलते विद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो रहे हैं अतएव जो विद्यालय गत वर्ष दो पारी में चल रहे थे अथवा एक भवन में दो विद्यालय संचालित हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश इस सत्र में भी दो पारी/आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्थाप्रधान से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिलें के समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को **दिनांक 15 दिसंबर 2020** तक तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः संनि/स्कूल शिक्षा/शै0प्र0/दो पारी वि./2020/2013 दिनांक : 08.12.2020

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. संभाग के सभी संस्थाप्रधान, माध्यमिक/प्रारंम्भिक को भेजकर लेख है कि निश्चित समयावधि में प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर